रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1976/श्रावण 7, 1898

No. 261] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1976/SRAVANA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July 1976

G.S.R. 490(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), at pages 355 to 358 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th February, 1976, under the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. G.S.R. 87(E), dated the 18th February, 1976, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 18th February, 1976;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959,—

(1) in rule 3,—

(i) in sub-rule (2), after the words "adequate supply of rice", the words "and whether the proposed mill shall help in avoiding wastages and improve quality of rice and other bye-products through the adoption of modern techniques" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be respectively substituted, namely:—

"(a) in case the proposed mill consists of one or more than one huller, the applicant shall ensure that no such huller is utilised for dehusking paddy and that for the purpose of such dehusking such applicant instals a rubber roll sheller or centrifugal dehusker along with a paddy cleaner and a paddy separator at any time before such establishment or recommencement of milling operations in a defunct rice mill, provided that in the case of a single huller, the dehusker, paddy cleaner and paddy separator may be installed either as individual separate units or be incorporated into one integrated composite mill;

(b) in case the proposed mill is a sheller-*cum*-huller type, the applicant shall ensure that—

(i) he instals a rubber roll sheller with a paddy cleaner and a paddy separator for purposes of dehusking paddy;

(ii) he utilises the huller only for the polishing of rice till such time as directions to the contrary are received by him from the said authority or the licensing officer; and

(c) in case the proposed mill is a sheller type, the applicant shall ensure that he instals a rubber roll sheller fitted with a paddy cleaner and paddy separator.";

(2) in the Schedule, in Form IV, in clause 3, in condition (3D),—

(i) in the opening paragraph, after the words 'The licensee', the words 'holding a valid licence prior to the coming into force of the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1976,' shall be inserted;

(ii) for paragraph (a), the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(a) where the rice mill consists of a single huller or more than one huller,—

(i) he shall not utilise the huller for dehusking paddy, but utilise it only for polishing rice, and

(ii) he shall instal either a rubber roll sheller or a centrifugal dehusker with paddy cleaner and paddy separator;";

(iii) in paragraph (b), in sub-paragraph (ii), for the letter and words "a rubber roller", the letter and words "a rubber roll sheller" shall be substituted;

(iv) to condition (3D), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that in the case of a rice mill licensed prior to the 30th April, 1975, the Licensing Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, further extend the said period by another two years, beyond the date of expiry of the period of 5 years.".

[No. 10(4)/73-WT(III)/D&R(I)-37]

I. C. GUPT, Jt. S

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 490 (अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 87 (अ), तारीख 18 फरवरी, 1976 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 18 फरवरी, 1976 के पृष्ठ 356 से पृष्ठ 358 पर प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा उन सब व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त सूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 18 फरवरी, 1976 को जनता को उपलब्ध कर दिया गया था ;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अत : , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1976 है ।

   (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में,—

   (1) नियम 3 में,—

   (i) उपनियम (2) मे, "आवश्यक है" शब्दों के पश्चात् "और क्या प्रस्थापित मिल आधुनिक तकनीकों को अपना कर बरबादी को रोकने के और चावल तथा उपोत्पादों की क्वालिटी सुधारने में सहायता देगी" शब्द अन्त: स्थापित किए जायेंगे ;

   (ii) उप-नियम (3) में, खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

   "(क) यदि प्रस्थापित मिल में एक या एक से अधिक भूसी उतारने के यंत्र (हुलर) हों, तो आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भूसी उतारने का यंत्र (हुलर) धान की भूसी उतारने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाए, और ऐसे भूसी उतारने के प्रयोजनार्थ ऐसा आवेदक ऐसे स्थापन या किसी निष्क्रय चावल मिल में कुटाई के काम को फिर से आरंभ करने के पूर्व किसी समय धान क्लीनर और धान पृथकित्र के साथ-साथ एक रबड़ रोल शेलर या अपकेन्द्री-डिहुस्कर लगाए : परन्तु एकल भूसी उतारने के यंत्र (हुलर) की दशा में डिहुस्कर, धान क्लीनर और धान पृथकित्र या तो अकले पृथक एककों के रूप में लगाए जा सकेंगे या एक एकीकृत संयुक्त मिल में निगमित किए जा सकेंगे

(ख) यदि प्रस्थापित मिल, शेलर-एवं-हलर किस्म की हो, तो आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि—

(i) वह धान की भूसी उतारने के प्रयोजनों के लिए धान क्लीनर और धान पृथकित्र के साथ एक रबड़ रोल शेलर लगाए;

(ii) वह उस समय तक, जब तक उक्त प्राधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी से उसे तत्प्रतिकूल निदेश प्राप्त नहीं होते, भूसी उतारने के यंत्र (हलर) का प्रयोग केवल चावल को चमकाने के लिए करें; और

(ग) (iii) यदि प्रस्थापित मिल, शेलर किस्म की हो, तो आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि वह धान क्लीनर और धान पृथकित्र के साथ फिट किया हुआ रबड़ रोल शेलर लगाए।"

(2) अनुसूची में, प्ररूप 4 में, खन्ड 3 में, शर्त (3घ) में,—

(i) आरम्भिक पैरा में "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के स्थान पर, "धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1976 के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाला, अनुज्ञप्तिधारी," शब्द रखे जायेंगे ;

(ii) पैरा (क) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्,—

"(क) जहां चावल मिल में भूसी उतारने का एक यंत्र (हलर) या एक से अधिक हलर हैं, वहां—

(i) वह हलर को धान की भूसी उतारने के लिए उपयोग में नहीं लाएगा, किन्तु केवल चावल को चमकाने के लिए ही उसका उपयोग करेगा, और

(ii) वह धान क्लीनर और धान पृथकित्र के साथ या तो एक रबड़ रोल शेलर या एक अपसन्द्री-डिहस्कर लगाएगा ;

(iii) पैरा (ख) में, उप-पैरा (ii) में, "एक रबड़ रोलर" शब्दों के स्थान पर, "एक रबड़ रोल शेलर" शब्द रखे जायेंगे;

(iv) शर्त (3घ) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु 30 अप्रैल, 1975 के पूर्व अनुज्ञप्त किसी चावल मिल की दशा में, अनुज्ञापन अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, उक्त अवधि को, पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख से आगे और दो वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा।"

[सं० 10(4)/73—डब्ल्यू टी (iii)/डी एन्ड आर-(i)-37]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976